

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

**ग्राम का नाम : गुवाड़ी**

**आवेदन पत्र का प्रकार :**

1	Guw-356	दल्ला / पहाड़सिंह / गुवाड़ी	पुनर्वास नीति की कंडिका 3.3 के अनुसार अतिक्रमण जमीन के बदले जमीन देने बाबत।	—	—	कार्यपालन यंत्री न.वि.संभाग क्र.32 बड़वाह द्वारा अतिक्रमण भूमि के भू अर्जन प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने से अवार्ड नहीं किया गया।	
---	---------	-----------------------------	---	---	---	--	--

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : गुवाड़ी आवेदन पत्र का प्रकार : 1 सर्वेक्षण त्रुटि (नवीन जो सम्पूर्ण छूट गये)**

1	Guw-361	मांगीलाल / बेस्ता / गुवाड़ी	पुनर्वास नीति की कंडिका 3.3 के अनुसार अतिक्रमण जमीन के बदले जमीन देने बाबत।	-	-	कार्यपालन यंत्री न.वि.संभाग क्र.32 बड़वाह द्वारा अतिक्रमण भूमि के भू अर्जन प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने से अवार्ड नहीं किया गया।	
2	Guw-360	राधेश्याम / नरसिंग / गुवाड़ी	पुनर्वास नीति की कंडिका 3.3 के अनुसार अतिक्रमण जमीन के बदले जमीन देने बाबत।	-	-	कार्यपालन यंत्री न.वि.संभाग क्र.32 बड़वाह द्वारा अतिक्रमण भूमि के भू अर्जन प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने से अवार्ड नहीं किया गया।	
3	Guw-357	धनसिंह / काले उर्फ कल्लू / गुवाड़ी	पुनर्वास नीति की कंडिका 3.3 के अनुसार अतिक्रमण जमीन के बदले जमीन देने बाबत।	-	-	कार्यपालन यंत्री न.वि.संभाग क्र.32 बड़वाह द्वारा अतिक्रमण भूमि के भू अर्जन प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने से अवार्ड नहीं किया गया।	
4	Guw-362	रुकमाबाई / रेमसिंह / गुवाड़ी	पुनर्वास नीति की कंडिका 3.3 के अनुसार अतिक्रमण जमीन के बदले जमीन देने बाबत।	-	-	कार्यपालन यंत्री न.वि.संभाग क्र.32 बड़वाह द्वारा अतिक्रमण भूमि के भू अर्जन प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने से अवार्ड नहीं किया गया।	
5	Guw-363	चंदरसिंह / गणपत / गुवाड़ी	पुनर्वास नीति की कंडिका 3.3 के अनुसार अतिक्रमण जमीन के बदले जमीन देने बाबत।	-	-	कार्यपालन यंत्री न.वि.संभाग क्र.32 बड़वाह द्वारा अतिक्रमण भूमि के भू अर्जन प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने से अवार्ड नहीं किया गया।	

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : गुवाड़ी आवेदन पत्र का प्रकार : 1 सर्वेक्षण त्रुटि (नवीन जो सम्पूर्ण छूट गये)**

6	Guw-364	बुधन / मांगीलाल / गुवाड़ी	पुनर्वास नीति की कंडिका 3.3 के अनुसार अतिक्रमण जमीन के बदले जमीन देने बाबत।	-	-	कार्यपालन यंत्री न.वि.संभाग क्र.32 बड़वाह द्वारा अतिक्रमण भूमि के भू अर्जन प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने से अवार्ड नहीं किया गया।	
7	Guw-359	छतरसिंह / अनसिंह / गुवाड़ी	पुनर्वास नीति की कंडिका 3.3 के अनुसार अतिक्रमण जमीन के बदले जमीन देने बाबत।	-	-	कार्यपालन यंत्री न.वि.संभाग क्र.32 बड़वाह द्वारा अतिक्रमण भूमि के भू अर्जन प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने से अवार्ड नहीं किया गया।	
8	Guw-358	भावसिंह / छित्तु / गुवाड़ी	पुनर्वास नीति की कंडिका 3.3 के अनुसार अतिक्रमण जमीन के बदले जमीन देने बाबत।	-	-	कार्यपालन यंत्री न.वि.संभाग क्र.32 बड़वाह द्वारा अतिक्रमण भूमि के भू अर्जन प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने से अवार्ड नहीं किया गया।	
9	Guw-365	छोटू / मांगीलाल / गुवाड़ी	पुनर्वास नीति की कंडिका 3.3 के अनुसार अतिक्रमण जमीन के बदले जमीन देने बाबत।	-	-	कार्यपालन यंत्री न.वि.संभाग क्र.32 बड़वाह द्वारा अतिक्रमण भूमि के भू अर्जन प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने से अवार्ड नहीं किया गया।	
10	Guw-366	कालू / मोहन / गुवाड़ी	पुनर्वास नीति की कंडिका 3.3 के अनुसार अतिक्रमण जमीन के बदले जमीन देने बाबत।	-	-	कार्यपालन यंत्री न.वि.संभाग क्र.32 बड़वाह द्वारा अतिक्रमण भूमि के भू अर्जन प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने से अवार्ड नहीं किया गया।	



**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : गुवाड़ी आवेदन पत्र का प्रकार : 5 राजस्व भूमि पर अतिक्रमण के मामले**

1	Guw-382	बिजेसिंह / गोमा / गुवाड़ी	पुनर्वास नीति की कंडिका 3.3 के अनुसार अतिक्रमण जमीन के बदले जमीन देने बाबत।	—	—	कार्यपालन यंत्री न.वि.संभाग क्र.32 बड़वाह द्वारा अतिक्रमण भूमि के भू अर्जन प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने से अवार्ड नहीं किया गया।	
2	Guw-283	प्रेमसिंह / गोमा / गुवाड़ी	पुनर्वास नीति की कंडिका 3.3 के अनुसार अतिक्रमण जमीन के बदले जमीन देने बाबत।	—	—	कार्यपालन यंत्री न.वि.संभाग क्र.32 बड़वाह द्वारा अतिक्रमण भूमि के भू अर्जन प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने से अवार्ड नहीं किया गया।	
3	Guw-373	सुकदेव / नरसिंग / गुवाड़ी	पुनर्वास नीति की कंडिका 3.3 के अनुसार अतिक्रमण जमीन के बदले जमीन देने बाबत।	—	—	कार्यपालन यंत्री न.वि.संभाग क्र.32 बड़वाह द्वारा अतिक्रमण भूमि के भू अर्जन प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने से अवार्ड नहीं किया गया।	
4	Guw-384	मालसिंग / दुलसिंग / गुवाड़ी	पुनर्वास नीति की कंडिका 3.3 के अनुसार अतिक्रमण जमीन के बदले जमीन देने बाबत।	—	—	कार्यपालन यंत्री न.वि.संभाग क्र.32 बड़वाह द्वारा अतिक्रमण भूमि के भू अर्जन प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने से अवार्ड नहीं किया गया।	
5	Guw-394	रामबाई / छतरसिंह / गुवाड़ी	पुनर्वास नीति की कंडिका 3.3 के अनुसार अतिक्रमण जमीन के बदले जमीन देने बाबत।	—	—	कार्यपालन यंत्री न.वि.संभाग क्र.32 बड़वाह द्वारा अतिक्रमण भूमि के भू अर्जन प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने से अवार्ड नहीं किया गया।	

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : गुवाड़ी आवेदन पत्र का प्रकार : 5 राजस्व भूमि पर अतिक्रमण के मामले**

6	Guw-381	बच्चू / माहनसिंह / गुवाड़ी	पुनर्वास नीति की कंडिका 3.3 के अनुसार अतिक्रमण जमीन के बदले जमीन देने बाबत।	—	7	कार्यपालन यंत्री न.वि.संभाग क्र.32 बड़वाह द्वारा अतिक्रमण भूमि के भू अर्जन प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने से अवार्ड नहीं किया गया।	
7	Guw-380	गंगाराम / रेमसिंह / गुवाड़ी	पुनर्वास नीति की कंडिका 3.3 के अनुसार अतिक्रमण जमीन के बदले जमीन देने बाबत।	—	—	कार्यपालन यंत्री न.वि.संभाग क्र.32 बड़वाह द्वारा अतिक्रमण भूमि के भू अर्जन प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने से अवार्ड नहीं किया गया।	
8	Guw-374	जगन / छतरसिंग / गुवाड़ी	पुनर्वास नीति की कंडिका 3.3 के अनुसार अतिक्रमण जमीन के बदले जमीन देने बाबत।	—	—	कार्यपालन यंत्री न.वि.संभाग क्र.32 बड़वाह द्वारा अतिक्रमण भूमि के भू अर्जन प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने से अवार्ड नहीं किया गया।	
9	Guw-371	नरसिंग / किशन / गुवाड़ी	पुनर्वास नीति की कंडिका 3.3 के अनुसार अतिक्रमण जमीन के बदले जमीन देने बाबत।	—	—	कार्यपालन यंत्री न.वि.संभाग क्र.32 बड़वाह द्वारा अतिक्रमण भूमि के भू अर्जन प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने से अवार्ड नहीं किया गया।	
10	Guw-369	देवीसिंह / गणपत / गुवाड़ी	पुनर्वास नीति की कंडिका 3.3 के अनुसार अतिक्रमण जमीन के बदले जमीन देने बाबत।	—	—	कार्यपालन यंत्री न.वि.संभाग क्र.32 बड़वाह द्वारा अतिक्रमण भूमि के भू अर्जन प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने से अवार्ड नहीं किया गया।	



**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : गुवाड़ी आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

1	Guw-404	मल्ला / पहाड़सिंह / गुवाड़ी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्।	आवेदक को आबादी मुआवजा ग.प.क्र.35 पर मकान की मुआवजा राशि 6501 निर्धारित कर भुगतान की गई है।	जी.आर.ए प्रकरण क्र. 20663 आदेश दि. 18. 06.09 द्वारा कंडिका 7. 2 की राशि अमान्य	आवेदक को मकान की मुआवजा राशि 6501 भुगतान की गई है।	
2	Guw-397	लक्ष्मी / भावसिंह / गुवाड़ी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्।	—	जी.आर.ए प्रकरण क्र. 20641 आदेश दि. 10. 06.09 द्वारा अवयस्क होने से अमान्य	भू.अर्जन अधिकारी के आदेश दि.12.01.2009 के अनुसार धारा 4 के दिनांक 18 वर्ष पूर्ण न होना शाला प्रवेश पंजी के जन्म दिनांक में प्रमाणित है। अतः इनके नाम से स्वीकृत पुनर्वास अनुदान निरस्त किया जाता है।	
3	Guw-403	गणपत / तेरसिंह / गुवाड़ी	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत्।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 5 पर मजदूर के रूप में राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक को भूमिहीन परिवार के रूप में पुनर्वास नीति की समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	
4	Guw-405	गुंडू / बाबूलाल / गुवाड़ी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्।	—	जी.आर.ए प्रकरण क्र. 20638 आदेश दि. 17. 03.09 द्वारा अवयस्क होने से अमान्य	ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची के सरल क्र. 30 में नाम नही होने से अनुदान नही दिया गया।	



**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

**ग्राम का नाम : गुवाड़ी आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

5	Guw-402	सुमिता / प्रेमसिंग / गुवाड़ी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत।	—	जी.आर.ए प्रकरण क्र. 20645 आदेश दि. 17. 03.09 द्वारा अवयस्क होने से अमान्य	ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची के सरल क्र. 23 पर उम्र-16 वर्ष अवयस्क पुत्री के रूप में दर्ज होने से पात्रता नहीं।	
6	Guw-401	गोपाल / छतरसिंग / गुवाड़ी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत।	—	जी.आर.ए प्रकरण क्र. 20640 आदेश दि. 17. 03.09 द्वारा अवयस्क होने से अमान्य	ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची के सरल क्र. 10 पर उम्र-14 वर्ष अवयस्क के रूप में दर्ज होने से पात्रता नहीं।	
7	Guw-400	रामकुवर / गोमा / गुवाड़ी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत।	आवेदिका को आबादी मुआवजा गणना पत्रक 29 पर सयुक्त खाते में आबादी भूखंड एवं मकान की मुआवजा राशि 11251/- निर्धारित कर भुगतान की गई है।	जी.आर.ए प्रकरण क्र. 20643 आदेश दि. 04. 03.09 द्वारा आश्रित माँ होने से अमान्य	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम परिवार के सूची के सरल क्र. 27 पर उम्र-70 वर्ष आश्रित माँ के रूप में होने से पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया।	
8	Guw-399	सुकलाल / बुदन / गुवाड़ी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत।	आवेदक के पिता को मुआवजा ग.प.क क्र. 20 पर मकान की मुआवजा राशि 47856 निर्धारित कर भुगतान की गई है।	—	भू.अर्जन अधिकारी के आदेश दि.12.01.2009 के अनुसार धारा 4 के दिनांक 18 वर्ष पूर्ण न होना शाला प्रवेश पंजी के जन्म दिनांक में प्रमाणित है। अतः इनके नाम से स्वीकृत पुनर्वास अनुदान निरस्त किया जाता है।	

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : गुवाड़ी आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

9	Guw-398	रुखमाबाई / रेमसिंह / गुवाड़ी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत।	आवेदिका के पुत्र को शा.भूमि मुआवजा ग.प.क्र. 15 पर मकान की मुआवजा राशि 60513 निर्धारित कर भुगतान की गई है।	जी.आर.ए प्रकरण क्र. 20644 आदेश दि. 16. 03.09 द्वारा आश्रित होने से अमान्य	ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची के सरल क्र. 28 पर उम्र-70 वर्ष होकर पुत्री के साथ आश्रित माँ के रूप में दर्ज होने से पात्रता नहीं।	
10	Guw-387	सुन्दर / गंगाराम / गुवाड़ी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत।	आवेदक के पिता को आ. मुआवजा ग.प.क्र.32 पर मकान की मुआवजा राशि 4934 निर्धारित कर भुगतान की गई है।	—	ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में नाम नहीं होने से अनुदान नहीं दिया गया।	
11	Guw-375	कालू / प्रेमसिंग / गुवाड़ी	घर का मुआवजा 25000 से कम बनने पर पुनर्वास नीति की धारा 7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत।	आवेदक की पिता को आबादी ग.प.क्र. 15 पर 8073 एवं शास. ग.क्र.11 पर मकान की मुआवजा राशि 72960 तथा स्वयं को बीडब्ल्यूएल शास. भूमि के ग.प.क्र. 24 पर मकान मुआवजा राशि 22031 पुन. अनुदान ग.प.क्र. 36 पर कृषि मजदूर के रूप में राशि 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई।	जी.आर.ए प्रकरण क्र. 20662 आदेश दि. 01. 12.08 द्वारा कंडिका 7. 2 की राशि अमान्य	आवेदक को मकान की अंतर की राशि कंडिका 7.2 की पात्रता नहीं	

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : गुवाड़ी आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

12	Guw-376	रमेश / प्रेमसिंग / गुवाड़ी	घर का मुआवजा 25000 से कम बनने पर पुनर्वास नीति की धारा 7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत्।	आवेदक को आबादी मुआवजा ग.प.क्र. 16 पर मकान की राशि 7306 एवं कृषि भूमि गणना प.क्र. 25 पर 22837 निर्धारित कर भुगतान की गई है। पुन. अनुदान ग.प.क्र. 64 पर कृषि मजदूर के रूप में राशि 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई।	जी.आर.ए प्रकरण क्र. 20657 आदेश दि. 11. 06.09 द्वारा कंडिका 7. 2 की राशि अमान्य	आवेदक को मकान की अंतर की राशि कंडिका 7.2 की पात्रता नहीं	
13	Guw-377	मुसासिंह / गुलाब / गुवाड़ी	घर का मुआवजा 25000 से कम बनने पर पुनर्वास नीति की धारा 7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत्	आवेदक को आबादी मुआवजा ग.प.क क्र. 7 पर मकान की मुआवजा राशि 9115 पुन. अनुदान ग.प.क्र. 66 पर कृषि मजदूर के रूप में राशि 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई।	जी.आर.ए प्रकरण क्र. 20669 आदेश दि. 01. 12.08 द्वारा कंडिका 7. 2 मकान के अंतर की राशि 15885 मान्य	जीआर के पालन में कंडिका 7.2 मकान के अंतर की राशि 15885 भुगतान की गई। पात्रता नहीं।	

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : गुवाड़ी आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

14	Guw-378	राजकुवरबाई / गोमाजी / गुवाड़ी	घर का मुआवजा 25000 से कम बनने पर पुनर्वास नीति की धारा 7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत्।	आवेदिका को सयुक्त रूप से आबादी मुआवजा ग.प.क्र. 29 पर मकान की मुआवजा राशि 11251 एवं आवेदिका के पुत्र को आबादी मुआवजा ग.प.क्र. 14 पर मकान की राशि 136321 तथा पुत्र को पुन. अनुदान ग.प.क्र. 43 पर कृषि मजदूर के रूप में राशि 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई। आवेदिका का नाम परिवार सूची के सरल क्र. 27 पर आश्रित माँ के रूप में दर्ज है।	जी.आर.ए. प्रकरण क्र. 20673 आदेश दि. 10.06.09 द्वारा कंडिका 7.2 का आवेदन अमान्य	आवेदिका को कंडिका 7.2 मकान के अंतर की राशि पात्रता नहीं।	
15	Guw-379	लक्ष्मण / हरेसिंह / गुवाड़ी	घर का मुआवजा 25000 से कम बनने पर पुनर्वास नीति की धारा 7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत्।	आवेदक को आबादी मुआवजा गणना पत्रक क्र. 27 पर मकान की मुआवजा राशि 18180 निर्धारित कर भुगतान की गई है। पुन. अनुदान ग.प.क्र. 14 पर कृषि मजदूर के रूप में राशि 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई।	—	आवेदक को मकान की मुआवजा राशि 18180 भुगतान की गई है।	

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : गुवाड़ी आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

16	Guw-393	सन्तु / मांगीलाल / गुवाड़ी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्।	आवेदक के माता को शा.भूमि मुआवजा ग.प.क्र. 23 पर मकान की मुआवजा राशि 49923 निर्धारित कर भुगतान की गई है।	जी.आर.ए प्रकरण क्र. 20631 आदेश दि. 17. 03.09 द्वारा अवयस्क होने से अमान्य	ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची के सरल क्र. 37 पर उम्र-16 वर्ष अवयस्क शांता पुत्र के रूप में दर्ज होने से पात्रता नहीं।	
17	Guw-386	कालू / मोहन / गुवाड़ी	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत्।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 32 पर मजदूर के रूप में राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक को भूमिहीन परिवार के रूप में पुनर्वास नीति की समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	
18	Guw-396	मूसा / गुलाबसिंह / गुवाड़ी	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत्।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 66 पर मजदूर के रूप में राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक को भूमिहीन परिवार के रूप में पुनर्वास नीति की समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	
19	Guw-388	दल्लु / पहाड़सिंह / गुवाड़ी	घर का मुआवजा 25000 से कम बनने पर पुनर्वास नीति की धारा 7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत्।	आवेदक को आबादी ग.प.क्र. 33 पर मकान की राशि 7170 एवं आबादी ग.प.क्र. 4 पर मकान की राशि 30517 निर्धारित कर भुगतान की गई है। पुन. अनुदान ग.प.क्र. 24 पर कृषि मजदूर के रूप में राशि 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई।	जी.आर.ए प्रकरण क्र. 20654 आदेश दि. 10. 06.09 द्वारा कंडिका 7. 2 की राशि अमान्य	अतः आवेदक को कंडिका 7. 2 मकान के अंतर की राशि की पात्रता नहीं।	

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

**ग्राम का नाम : गुवाड़ी आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

20	Guw-390	पप्पू / सुकलाल / गुवाड़ी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत।	आवेदक के पिता को आबादी मुआवजा ग.प.क क्र. 22 पर मकान/भूखंड की मुआवजा राशि 70494 निर्धारित कर भुगतान की गई है।	—	ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची के सरल क्र. 7 पर उम्र-14 वर्ष अवयस्क के रूप में दर्ज होने से पात्रता नहीं।	
21	Guw-391	संजू / नरसिंग / गुवाड़ी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत।	आवेदक के पिता को आबादी मुआवजा गणना पत्रक 1 पर आबादी भूखंड व मकान की मुआवजा राशि 130316 निर्धारित कर भुगतान की गई है।	—	ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची के सरल क्र. 1 पर उम्र-16 वर्ष अवयस्क पुत्री के रूप में दर्ज होने से पात्रता नहीं।	
22	Guw-392	जगदीश / नरसिंह / गुवाड़ी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत।	आवेदक के पिता को आबादी मुआवजा ग.प.क क्र. 1 पर मकान/भूखंड की मुआवजा राशि 130316 निर्धारित कर भुगतान की गई है।	जी.आर.ए प्रकरण क्र. 29825 आदेश दि. 01.05.09 द्वारा अवयस्क होने से पुनर्वास अनुदान अमान्य	भू.अर्जन अधिकारी के आदेश दि.12.01.2009 के अनुसार धारा 4 के दिनांक 18 वर्ष पूर्ण न होना शाला प्रवेश पंजी के जन्म दिनांक में प्रमाणित है। अतः इनके नाम से स्वीकृत पुनर्वास अनुदान निरस्त किया जाता है।	

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

**ग्राम का नाम : गुवाड़ी आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

23	Guw-407	राली / बुधन / गुवाड़ी	विस्थापित परिवार के सदस्यों को मकान मुआवजा व अनुदान राशि एवं प्लॉट प्रदाय करने बाबत्।	आवेदक के पिता को मुआवजा गणना पत्र क्र. 3 पर मकान की मआवजा राशि 6525 निर्धारित कर भुगतान की गई। आवेदिका को पुनर्वास अनुदान गणना पत्र क्र. 56 पर मजदूर के रूप में राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई है	—	आवेदिका को पुनर्वास अनुदान दिया जा चुका है एवं प्लॉट के बदले नगद राशि का भुगतान किया जा चुका है। पात्रता नहीं।	
24	Guw-395	मुकेश / लिम्बू / गुवाड़ी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्।	आवेदक के पिता को शा.भूमि मुआवजा ग.प.क क्र. 16 पर मकान की राशि 93469 निर्धारित कर भुगतान की गई है।	जी.आर.ए प्रकरण क्र. 20687 आदेश दि. 06. 03.09 द्वारा अवयस्क होने से अमान्य	ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची के सरल क्र. 29 पर उम्र—16 वर्ष अवयस्क पुत्र के रूप में दर्ज होने से पात्रता नहीं।	
25	Guw-385	गणपत / तेरसिंह / गुवाड़ी	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रूपयों का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत्।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्र क्र. 5 पर मजदूर के रूप में राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक को भूमिहीन परिवार के रूप में पुनर्वास नीति की समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : गुवाड़ी आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

26	Guw-372	कालू / मोहन / गुवाड़ी	घर का मुआवजा 25000 से कम बनने पर पुनर्वास नीति की धारा 7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत्।	आवेदक को आबादी मुआवजा ग.प.क क्र. 13 पर मकान की मुआवजा राशि 5188 एवं आबादी मुआवजा ग.प.क्र. 25 पर मकान की राशि 13342 एवं शा.भूमि गणना प.क्र. 10 पर 66695 निर्धारित कर भुगतान की गई है। पुन. अनुदान ग.प.क्र. 32 पर कृषि मजदूर के रूप में राशि 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई।	जी.आर.ए प्रकरण क्र. 2065 आदेश दि. 01.12.08 द्वारा कंडिका 7.2 की राशि अमान्य	आवेदक को कंडिका 7.2 की राशि की पात्रता नहीं।	
27	Guw-408	काली / मांगीलाल / गुवाड़ी	विस्थापित परिवार के सदस्यों को मकान मुआवजा व अनुदान राशि एवं प्लॉट प्रदाय करने बाबत्।	आवेदिका की माँ को मकान की मुआवजा राशि 49923 निर्धारित कर भुगतान की है।।	—	ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची के सरल क्र. 37 पर आवेदिका का नाम दर्ज नहीं होने से पात्रता नहीं।	
28	Dha-188	कु. मेधू / भलसिंह / धारड़ी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्।	—	जी.आर.ए प्रकरण क्र. 13969 आदेश दि. 02.05.06 द्वारा अमान्य	ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची के क्र. 45 पर उम्र-17 वर्ष अवयस्क पुत्री के रूप में दर्ज होने से पात्रता नहीं।	



**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : गुवाड़ी आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

29	Guw-354	गंगाराम / रेमसिंग / गुवाड़ी	घर का मुआवजा 25000 से कम बनने पर पुनर्वास नीति की धारा 7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत।	आवेदक को आबादी मुआवजा गणना पत्रक क्र. 32 पर मकान की मुआवजा राशि 4934 एवं शा.भूमि पर ग.प.क्र. 15 पर मकान की राशि 60513 निर्धारित कर भुगतान की गई है। पुन. अनुदान ग.प. क्र. 44 पर अन्य मजदूर के रूप में राशि 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई।	जी.आर.ए प्रकरण क्र. 20653 आदेश दि. 06. 08.08 द्वारा कंडिका 7. 2 की राशि अमान्य	आवेदक को मकान की अंतर की राशि कंडिका 7.2 की पात्रता नहीं	
30	Guw-353	लक्ष्मण / हरेसिंह / गुवाड़ी	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रूपयें का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 14 पर मजदूर के रूप में राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	-	आवेदक को भूमिहीन परिवार के रूप में पुनर्वास नीति की समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	
31	Guw-352	गट्टसिंग / मांगीलाल / गुवाड़ी	घर का मुआवजा 25000 से कम बनने पर पुनर्वास नीति की धारा 7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत।	आवेदक को आबादी मुआवजा गणना पत्रक क्र. 5 पर मकान की मुआवजा राशि 7147 शा. कृषि मुआवजा ग.प. 20 पर सयुक्त खातों में मुआवजा राशि 47856 निर्धारित कर भुगतान की गई है। पुन. अनुदान ग.प.क्र. 58 पर मजदूर के रूप में राशि 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई।	जी.आर.ए प्रकरण क्र. 20666 आदेश दि. 01. 12.08 द्वारा कंडिका 7. 2 का आवेदन अमान्य	आवेदक को मकान की अंतर की राशि कंडिका 7.2 की पात्रता नहीं।	